न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 53/17

1. गजानन्द पुत्र स्व. अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादी)

बनाम

1. चौथमल पुत्र स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
2. रामरतन स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
3. देवीलाल स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
4. मालचंद स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
5. रामजानकी बाई पुत्री स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
6. संतोष बाई पुत्री स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
7. कस्तूरी बाई बेवा स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
   निवासीगण ग्राम पोलाई, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

दिनांक : 20.11.2018

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री मनोज तिवारी
प्रतिवादी अभिभाषक श्री सत्यनारायण मेघवाल

निर्णय

1- वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया गया।

2- प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि वादी द्वारा गोदनामे का कोई भी दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है तथा उक्त वाद 78 साल की अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है, जो अवधि बाधित है।गोदनामे के आधार पर वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा उत्तक पुत्र घोषित कराने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इस कारण वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वाद वादी खारिज किया जावे।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र O_7R_{11} CPC पेश कर निवेदन किया गया कि वाद कारण उत्पन्न होने के बाद ही वाद पेश किया गया है। दिनांक 15.07.2017 को वाद कारण उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 प्रार्थी की आराजी पर आये तथा खेत हांकने की धमकी देने लगे। उनके साथ कुछ प्रोपर्टी डीलर भी थे जो जमीन को खरीदने की बात कह रहे थे। इसके बाद प्रार्थी ने वर्तमान जमाबन्दी की नकल निकलवायी तो पता चला कि बिना किसी जांच पडताल के ही प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि उनका कोई सम्बन्ध प्रतिवादी की आराजी से कभी नहीं रहा। चूंकि वाद कारण दिनांक 15.07.2017 को उत्पन्न हुआ, उसके बाद 30 दिन के अन्दर अन्दर ही दावा पेश कर दिया गया है, इसलिये दावा अवधि बाधित नहीं है। वादी ने किसी को दत्तक पुत्र घोषित कराने के लिये वाद पेश किया है, जिसका श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में ही निहित है। इसके अतिरिक्त वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र O_7R_{11} CPC में विशेष कथन अंकित करते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है, जिसका कोई तथ्यात्मक या विधिक अस्तित्व नहीं है। प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिखा गया है। वादी ने दावा बाबत खातेदार घोषित किये जाने पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

O_7R_{11} CPC कोस्ट के साथ खारिज किया जावे।

3- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र O_7R_{11} CPC के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में कानून के दो निम्न substantial question उठाये गये है –

क. क्या दावा मियाद सीमा के बाहर दायर किया गया ?

ख. क्या गोदपुत्र सम्बन्धी श्रवणाधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है ?

क. क्या दावा मियाद सीमा के बाहर दायर किया गया है ?

प्रार्थी/प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी द्वारा अपने वाद में कथन किया है कि मथुरा 78 साल पहले अपनी भुवा देवबाई के यहां गोद चला गया था। अतः यह वाद 78 साल बाद प्रस्तुत किया गया है जो कि मियाद सीमा के बाहर है। अप्रार्थी/वादी के अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि वाद कारण 15.07.2017 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 प्रार्थी की आराजी पर आये और खेत हांकने की धमकी देने लगे। इसके उपरान्त जब वादी ने वर्तमान जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो उसे ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है। इसके उपरान्त दिनांक 25.07.2017 को वाद कर दिया गया जो कि मियाद सीमा के भीतर है।

हम यह देख सकते है कि मुख्य विवाद इस बिन्दु पर है कि वाद कारण किस समय पर उत्पनन्न हुआ। Hon'ble Supreme Court of India ने Daya Singh & Anr vs Gurdev Singh(Dead) By Lrs. & Ors (7 January, 2010) में मियाद के प्रश्न का अवलोकन किया है

> " 7. As noted herein earlier, the only question, therefore, to be decided is whether the mere existence of an adverse entry in the revenue records had given rise to cause of action as contemplated under Article 58 or it had accrued when the right was infringed or threatened to be infringed. Let us, therefore, consider whether the suit was barred by limitation in view of Article 58 of the Act in the background of the facts stated in the plaint itself. Part III of the schedule which has prescribed the period of limitation relates to suits concerning declarations. Article 58 of the Act clearly says that to obtain any other declaration, the limitation would be three years from the date when the right to sue first accrues. In support of the contention that the suit was filed within the period of limitation, the learned senior counsel appearing for the plaintiffs/appellants before us submitted that there could be no right to sue until there is an accrual of the right asserted in the suit and its infringement or at least a clear and unequivocal threat to infringe that right by the defendant against whom the suit is instituted. In support of this contention the learned senior counsel strongly relied on a decision of the Privy Council reported in AIR 1930 PC 270 [Mt.Bolo vs. Mt. Koklan and others]. In this decision their Lordships of the Privy Council observed as follows :-
>
> "There can be no right to sue until there is an accrual of the right asserted in the suit and its infringement or at least a clear and unequivocal threat to infringe that right by the defendant against whom the suit is instituted."
>
> 8. A similar view was reiterated in the case

ACM (HQ), Kota
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

Scanned by CamScanner

of C.Mohammad Yunus vs. Syed Unnissa and others [AIR 1961 SC 808] in which this Court observed :

"the period of 6 years prescribed by Article 120 has to be computed from the date when the right to sue accrued and there could be no right to sue until there is an accrual of the right asserted in the suit and its infringement or at least a clear and unequivocal threat to infringe that right."

9. In the case of C.Mohammad Yunus (supra), this Court held that the cause of action for the purposes of Article 58 of the Act accrues only when the right asserted in the suit is infringed or there is atleast a clear and unequivocal threat to infringe that right. Therefore, the mere existence of an adverse entry into the revenue record cannot give rise to cause of action.

10. Keeping these principles in mind, let us consider the admitted facts of the case. In para 16 of the plaint, it has been clearly averred that the right to sue accrued when such right was infringed by the defendants about a week back when the plaintiffs had for the first time come to know about the wrong entries in the record of rights and when the defendants had refused to admit the claim of the plaintiffs. Admittedly, the suit was filed on 21st of August, 1990. According to the averments made by the plaintiffs in their plaint, as noted hereinabove, if this statement is accepted, the question of holding that the suit was barred by limitation could not arise at all. Accordingly, we are of the view that the right to sue accrues when a clear and unequivocal threat to infringe that right by the defendants when they refused to admit the claim of the appellants, i.e. only seven days before filing of the suit. Therefore, we are of the view that within three years from the date of infringement as noted in Paragraph 16 of the plaint, the suit was filed. Therefore, the suit which was filed for declaration on 21st of August, 1990, in our view, cannot be held to be barred by limitation. Therefore, the courts below including the High Court had proceeded entirely on a wrong footing that the cause of action arose on the date of entering into the compromise and, therefore, the suit was barred by limitation, whether or not the compromise decree was acted upon and whether delivery of possession had taken place has to be decided by the trial court before it could come to a proper conclusion that the suit was barred by limitation. In this view of the matter, we do not find any ground to agree with the findings of the High Court that the suit was barred by time because of its filing after 18 years of entering into the compromise. The question of filing the suit before the right accrued to them by compromise could not arise until and unless infringement of that right was noticed by one of the parties. The High Court in the impugned judgment, in our view, had fallen in grave error in holding that the suit was barred by time and had

सहायक कलक्टर एवं
AGG (HC), Kota

Scanned by CamScanner

ignored to appreciate that the rights of the appellants to have the revenue record accrued first arose in 1990 when the appellants came to know about the wrong entry and the respondents failed to join the appellants in getting it corrected. In our view, the High Court was not justified in holding that mere existence of a wrong entry in the revenue records does not, in law, give rise to a cause of action within the meaning of Article 58 of the Act. No other point was urged before us by the learned counsel for the parties.

मियाद सीमा के सवाल पर वर्तमान मामले के तथ्य उपर सूचीबद्ध मामले में न्यायालय के निष्कर्ष के समान है। दावों में वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि मथुरा जो कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के पिता एवं क्रम 7 के पति है, वो 78 साल पूर्व गोद चले गये थे। विवादित आराजी में उनका कोई हक व अधिकार शेष नहीं है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का गलत रूप से 1/2 हिस्सा अंकित हो गया है। इसका पता वादी को तब चला जब प्रतिवादी उक्त आराजी पर दिनांक 15.07.2017 को आकर खेत हांकने की धमकी देने लगा। जिसके उपरान्त उन्होनें राजस्व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण का वाद कारण दिनांक 15.07.2017 को उत्पन्न हुआ। जब वादी को सर्वपगथम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन का ज्ञान हुआ। चूंकि यह वाद दिनांक 25.07.2017 को दायर कर दिया गया था। अतः यह मियाद सीमा में है।

ख. क्या गोदपुत्र सम्बन्धी श्रवणाधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है ?

प्रार्थी/प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद कारण गोदनामें के आधार पर उत्पन्न नहीं हुआ। अतः दत्तक पुत्र घोषित करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है। अप्रार्थी/वादी के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि वाद दत्तक पुत्र घोषित कराने के लिये पेश नहीं किया गया है अपितु घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिये पेश किया गया है जिसका एकमात्र श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। Hon'ble High Court of Rajasthan के Jaswant Singh etc. vs. Board of Revenue & Ors., (1984) RLR (3) 791 का हमने अवलोकन किया।

"4. It is a well settled that question of jurisdiction ought to be decided on the basis of allegations made in the plaint. There is no doubt that sometimes the plaint is so drafted as to camouflage the real purpose thereof and as such it has been often held that the substance of the plaint should be considered by the Court for the purpose of determination of the question of jurisdiction.

8."Another principle which has to be kept in view is that the exculsion of jurisdiction of a civil court cannot be lightly inferred and the jurisdiction of Civil Court cannot be ousted until the exclusion is clearly established. Under Section 9 of Code of Civil Procedure, a Civil Court can entertain a suit of Civil nature except a suit of which cognizance is either expressly or impliedly barred. In (5) Abdul Waheed Khan vs. Bhawani (AIR 1966 SC 1718), their Lordships of the Supreme Court observed that it was also equally well settled that a statue ousting the jurisdiction of the Civil Court must be strictly constructed"

सहायक कलक्टर एवं
ACM (HQ), Kota
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

वाद में दायर प्रार्थना निम्न प्रकार है

(अ) वादी को वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजी का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण नंबर 1 से 7 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी वादी के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

(ब) वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार का बैजा मदालखत एवं मजाहमत न तो स्वयं करेंना ही अपने एजेन्ट से करवावें।

(स) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद में दायर प्रार्थना के अवलोकन से हम पाते है कि वाद का मुख्य उद्देश्य दत्तक पुत्र की घोषणा करवाना नहीं होकर खातेदारी अधिकार की घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना है, जो कि राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। किन्तु जैसा कि यह विधि का सुस्थापित तथ्य है कि श्रवणाधिकार के प्रश्न पर न केवल दावे की प्रार्थना को बल्कि सम्पूर्ण दावे का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दावे में उल्लेखित निम्न पैरा महत्वपूर्ण है –

Para 2 "यह कि स्व. मथुरा अपने बचपन काल में ही अपनी भुआ देवबाई पत्नी भैरूलाल, ग्राम पोलाईकलां के यहां करीब 78 वर्ष पूर्व गोद चला गया था, तथा उसका वर्ष 2015 में वहीं पर स्वर्गवास हुआ है। स्व. मथुरा अपनी गोदमाता स्व. देवबाई तथा अपने गोदपिता श्री भैरूलाल की अचल सम्पत्ति पर काबिज थे, स्व. मथुरा के गोद जाने के पश्चात उनके समस्त अधिकार प्राकृतिक माता पिता की सम्पत्ति में से समाप्त होकर गोद गये माता पिता पिता की सम्पत्ति में समाहित हो गये।"

para 5 "यह कि उपरोक्त आराजी में स्व. मथुरा के गोद चले जाने के बाद उक्त आराजी में कोई हक शेष नहीं रहा। इसलिये उसकी मृत्यु के बाद जो इन्तकाल उनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है, गलत है तथा उक्त नामांतरण खारिज योग्य है।"

जैसा कि पैरा 5 में विदित है कि मथुरा का उक्त आराजी में कोई हक व अधिकार शेष नहीं है क्योंकि वह गोद चला गया था। प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या मथुरा गोद गया था, जैसा कि वादी का कथन है अथवा गोद नहीं गया था, जैसा कि प्रतिवादी का कथन है। इस प्रश्न के उत्तर के लिये THE HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956 के अवलोकन से दिया जा सकता है जिसका श्रवणाधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है।

4- उपरोक्त समस्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा पेश किये गये वाद मियाद सीमा के अन्दर दायर किया गया है किन्तु मथुरा के गोद चले जाने के बिन्दु का निर्धारण किये बिना खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस बिन्दु का निर्णय करने का श्रवणाधिकार माननीय सिविल न्यायालय को होने के कारण वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत O_7R_{11} CPC स्वीकार कर वाद वादी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5- श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा आदेश क्रमांक रीडर/डीएम/2018/970 दिनांक 22.10.2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Gajanand.Chothmal.O7R11 CPC

ACM (HQ), Kota

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र कुमार, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1. गजानन्द पुत्र स्व. अमरलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा (वादी)

बनाम

1. चौथमल पुत्र स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
2. रामरतन स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
3. देवीलाल स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
4. मालचंद स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
5. रामजानकी बाई पुत्री स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
6. संतोष बाई पुत्री स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
7. कस्तूरी बाई बेवा स्व. मथुरा, जाति मेघवाल
   निवासीगण ग्राम पोलाई, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 53 / 17
निर्णय दिनांक : 20-11-2018

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी अभिभाषक श्री मनोज तिवारी एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री सत्यनारायण मेघवाल की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस अन्तिम सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का नियमों विनियमों के अन्तर्गत अवलोकन अध्ययन व मनन करने के उपरान्त आज तारीख 20–11–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये पेश होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार कर वाद वादी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 20.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner